प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर,2025

विषय:-इजरा वाद सं०-287/ 2023/ 14 /2016 माता प्रसाद आदि बनाम कलेक्टर भदोही में मा० जनपद न्यायालय, अपर जिला जज कोर्ट संख्या-03, भदोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2015 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित प्रथम अपील सं०-158/2020 उ०प्र० राज्य व 02 अन्य बनाम माता प्रसाद व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनाक 19.08.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-972 बी0जी0/ 209 बी0 (41)/2023-24, दिनांक 30.08.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इजरा वाद सं०-287/ 2023/ 14 /2016 माता प्रसाद आदि बनाम कलेक्टर भदोही में मा० जनपद न्यायालय, अपर जिला जज कोर्ट संख्या-03, भदोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2015 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित प्रथम अपील सं०-158/2020 उ०प्र० राज्य व 02 अन्य बनाम माता प्रसाद व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनाक 19.08.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के मुआवजे हेतु धनराशि रू0 3.05357 लाख (रू० तीन लाख पॉच हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1)- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि के प्रतिकर का भुगतान विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6)- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व समस्त तथ्यों की जॉच कर ली जाय एवं धनराशि की गणना की शुद्धता की जॉच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों / शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत धनराशि की गणना सुसंगत शासनादेश के आलोक में की गयी है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3.05357 लाख (रू० तीन लाख पॉच हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000302 विभिन्न मार्गो पर अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान जिसके भुगतान के लिये आदेश न्यायालय या शासन से प्राप्त हुये हो मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संबंधित जिलाधिकारी।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, मीरजापुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर।
7- अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भदोही।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।